भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2977

जिसका उत्तर मंगलवार, 19 अगस्त, 2025/28 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

आरबीआई अधिनियम में संशोधन

2977. डा. अजित माधवराव गोपछड़े:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में भारतीय अर्थव्यवस्था की जटिलताओं से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए आरबीआई अधिनियम में व्यापक संशोधन की आवश्यकता पर विचार कर रही है;

(ख) क्या बैंकिंग विनियमन से संबंधित आरबीआई की शक्तियाँ सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए जैसी अन्य एजेंसियों के साथ अतिव्याप्त होती हैं, जिससे विनियामक टकराव उत्पन्न होते हैं; और

(ग) क्या सरकार ने न्यूजीलैंड/श्रीलंका के विधान का विश्लेषण किया है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से निपटने के लिए उनके केंद्रीय बैंकों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए बनाया गया है, ताकि आरबीआई अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों में शामिल की जा सकने वाली सर्वोत्तम परिपाटियों की पहचान की जा सके?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): मौजूदा अधिनियमों में संशोधनों पर विचार किया जा रहा है, जो उभरते परिदृश्य, प्रचलित पारितंत्र की गतिशीलता के आकलन पर आधारित है, और उन्हें सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करने के लिए है, ताकि अधिनियम प्रासंगिक, प्रभावी बने रहें तथा अर्थव्यवस्था की उभरती जटिलताओं का समाधान करने में सक्षम हों। इसके अलावा, सभी संबंधित हितधारकों के साथ सक्रिय और आकर्षक परामर्श किया जाता है, तथा मौजूदा अधिनियमों में किसी भी संशोधन पर विचार करते समय, अन्य क्षेत्राधिकारों की सर्वोत्तम प्रथाओं का विश्लेषण किया जाता है। व्यापक विचार-विमर्श के बाद ही, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में 'विनियमित संस्थाओं द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को सांविधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के परिवर्तित से संबंधित प्रावधान को हाल ही में बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 2025 के माध्यम से संशोधित किया गया था।

आरबीआई बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) को विनियमित करने की अपनी शक्तियां विभिन्न संविधियों जैसे बीआर अधिनियम, आरबीआई अधिनियम, फेमा अधिनियम, सरफेसी अधिनियम आदि से प्राप्त करता है। कुछ मामलों में, विनियमित संस्थाओं की गतिविधियाँ एक से अधिक विनियामकों के दायरे में आ सकती हैं। विभिन्न विनियामकों की विनियामक शक्तियों के ओवरलैपिंग, यदि कोई हो, का आपसी परामर्श से और वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी)/इसकी उप-समितियों द्वारा निपटान किया जा रहा है, जिसमें वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामक शामिल हैं जो किसी भी अंतर-विनियामकीय मुद्दों को हल करने और नीतियों में स्थिरता और स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए एक संस्थागत मंच प्रदान करते हैं।

*****